न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/216/2015

उनवान

1. रायमल पिता भूरा गुर्जर निवासी गुवारडी तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती शारदा देवी पत्नि प्रहलादराय न्याति निवासी 6/15 काशीपुरी, भीलवाडा, जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ के प्रकरण संख्या 65/2008 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.6.2015

अधिवक्तागण :–

1. श्री एच डी वर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री अशोक गट्याणी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी 1
2 श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 25.4.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादीया ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया के स्वामित्व व आधिपत्य तथा कब्जेकाश्त की सरहद गुवारडी पटवार क्षेत्र स्वरूपगंज तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा की खतौनी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संख्या 244 में आराजी नम्बर 499/1 रकबा 3.00 बीघा भूमि स्थित है। जो राजस्व रेकार्ड मे वादिया के नाम पर दर्ज रेकार्ड है तथा उक्त आराजी चाह नम्बर 502 रकबा 0.05 बिस्वा भूमि से पिवल है। जिसमें भी वादिया का हक हिस्सा निहित है। वादिया अपनी आराजी पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। वादिया ने अपनी आराजियात में गैहूँ की फसल बो रखी है जो मौके पर विद्यमान है। वादिया की उपरोक्त आराजी में प्रत्यर्थी संख्या 1 का कोई हक वास्ता नहीं है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 की नियत में फितुर आ जाने से वादिया की उक्त भूमि को जबरन शक्ति के बल पर हडप करना चाहता है। इसी गरज से आये दिन वादिया के साथ लडाई झगडा करता है व वादिया को उक्त आराजी से बेदखल करने की धमकी देता रहता है। दिनांक 10 मार्च 2008 को वादिया अपनी वादग्रस्त आराजी पर थी कि प्रतिवादी संख्या 1 वादिया की उक्त भूमि पर आया व जबरन अनाधिकृत रूप से अन्दर प्रवेश हो गया व वादिया को जबरन शक्ति के बल पर बेदेखल करने लगा । इस पर वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 को कहा कि उक्त वादग्रस्त भूमि वादिया की है । जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक अधिकार नहीं है। फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 मानने को तैयार नहीं हुआ। इसी बीच मौके पर कुछ व्यक्ति आ गये जिन्हें बडी मुश्किल से प्रतिवादी संख्या 1 को समझाया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने जाते–जाते धमकी दी कि वह किसी भी वक्त आयेगा व वादिया को वादग्रस्त आराजियात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल कर अपना कब्जा करके ही रहेगा। जबकि प्रतिवादी का वादग्रस्त आराजी में कोई हक अधिकार नहीं है। वादिया अपने परिवार सहित भीलवाडा शहर में निवास करती है तथा वादिया एवं वादिया के पति प्रहलादराय न्याती ने फसल काश्त करनहे हेतु गणेश लाल गुर्जर को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

सिजारे पर दिया और सिजारी गणेश गुर्जर फसल काश्त करता चला आ रहा है। अभी भी सिजारी द्वारा गैहूँ की फसल काश्त की हुई है और मौके पर वादिया का सिजारी दिनांक 10.3.2008 से पूर्व की दिनांक 3.2.2008 को दिन के करीब 1.00 बजे खाद डाल रहा था । प्रतिवादी संख्या 1 आपराधिक आशय से वादिया की उक्त आराजियात पर आया और अनाधिकृत रूप से प्रवेश हो गया एवं खडी फसल को नष्ट करने लग गया । वादिया के सिजारी द्वारा मना करने पर उसके साथ गाली गलोच एवं मारपीट करने लगा एवं जाते जाते प्रतिवादी संख्या 1 वादिया का खाद का कट्टा भी उठाकर ले गया । तथा प्रतिवादी संख्या 1 यह कहकर गया कि प्रतिवादी संख्या 1 पुनः किसी भी वक्त आयेगा और वादिया की फसल को नष्ट कर देगा तथा कब्जा कर लेगा । इस बाबत वादिया के पति ने एफ आई आर थाना सदर, भीलवाडा में दर्ज कराई है। जिसके मुकदमा नम्बर 41/2008 होकर बाद अनुसंधान प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध धारा 447 आई पी सी के तहत चालान पेश किया । जो प्रकरण श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब, संख्या 1 भीलवाडा में 50/2008 दर्ज होकर विचाराधीन है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 को कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में नहीं है। अतः बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादिया स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 वादिया को वादग्रस्त आराजियात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करे एव ना ही किसी से करावे तथा वादिया के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से बाधा, रूकावट न तो स्वयं पैदा करें एवं न ही किसी अन्य से करावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने साथ यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.8.2015 को हुई । जिस पर अपीलार्थी ने नकल हेतु आवेदन किया एवं नकल दिनांक 5.11.2015 को प्राप्त हुई। इस कारण अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी नम्ब 499/1 रकबा 3 बीघा भूमि का खातेदार रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को मानकर उसका कब्जा मानकर भारी भूल की है। रेस्पोडेण्ट की तरफ से वादग्रस्त आराजी पर कब्जा होने बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं कया एवं न ही वादग्रस्त आराजी पर कभी रेस्पोडण्ट संख्या 1 का कब्जा व दखल ही रहा है। उसके बावजूद अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया है जो अपास्त योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र जमाबंदी के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। प्रकरण में जमाबंदी को प्रदर्श भी नहीं किया एवं न ही दावा एवं जवाब दावे के आधार पर तनकियात ही कायम की । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 प्रकरण में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

फोर्मल पक्षकार है। अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर ही प्रदान नहीं किया है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाण्ट ने न तो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि विक्रय की, न ही कभी कब्जा रेस्पोडेण्ट को दिया, वरन अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पति से वाहन लोन लिया था जिसके एवज में गिरवी की लिखापढी की थी। लेकिन अपीलाण्ट अनपढ होने के कारण अपीलाण्ट की अनपढता का नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोडेण्ट के पति ने गिरवी की जगह विक्रय की रजिस्ट्री करवा ली । जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को नहीं थी । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का कभी नही रहा है। उसके बावजूद अपीलाधीन निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक भूल की है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ताका यह भी निवेदन है कि फौजदारी प्रकरण में भी कब्जा अपीलाण्ट का ही अधीनस्थ न्यायालय ने माना है अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं मिल पाया है इसलिए इससे संबंधित दस्तावेज अपीलाण्ट प्रस्तुत नहीं कर पाया था। अधीनस्थ न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। दावा एवं जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायमी में प्रकरण लंबित था। प्रकरण में तनकियात कायम नहीं की गई एवं अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया है। जो विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

9. प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजी का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में प्रत्यर्थीया का कब्जाकाश्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है। वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, दस्तावेजात, का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

11. अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीया/वादिया ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया के स्वामित्व व आधिपत्य तथा कब्जेकाश्त की सरहद गुवारडी पटवार क्षेत्र स्वरूपगंज तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा की खतौनी संख्या 244 में आराजी नम्बर 499/1 रकबा 3.00 बीघा भूमि स्थित है। जो राजस्व रेकार्ड मे वादिया के नाम पर दर्ज रेकार्ड है तथा उक्त आराजी चाह नम्बर 502 रकबा 0.05 बिस्वा भूमि से पिवल है। जिसमें भी वादिया का हक हिस्सा निहित है। वादिया अपनी आराजी पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। वादिया ने अपनी आराजियात में गैहूँ की फसल बो रखी है जो मौके पर विद्यमान है। वादिया की उपरोक्त आराजी में प्रत्यर्थी संख्या 1 का कोई हक वास्ता नहीं है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 की नियत में फितुर आ जाने से वादिया की उक्त भूमि को जबरन शक्ति के बल पर हडप करना चाहता है। इसी गरज से आये दिन वादिया के साथ लडाई झगडा करता है व वादिया को उक्त आराजी से बेदखल करने की धमकी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

देता रहता है। प्रतिवादी संख्या 1 को कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में नहीं है। अतः बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादिया स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 वादिया को वादग्रस्त आराजियात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करे एव ना ही किसी से करावे तथा वादिया के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से बाधा, रूकावट न तो स्वयं पैदा करें एवं न ही किसी अन्य से करावे।

12. अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी/अपीलार्थी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया । उसके उपरान्त प्रकरण तनकियात कायमी में नियत किया गया । प्रकरण तनकियात कायमी में ही लंबित रहा । दिनांक 15.6.2016 को प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट स्वरूपगंज में नियत किया गया । जिसमें वादिया की उपस्थिति दर्शाते हुए प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार सरकार की सहमति व्यक्त करने का अंकन करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा प्रत्यर्थीया/वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया गया ।

13. राजस्व लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाना होता है जिसमें उभयपक्ष सहमति/राजीनामे से प्रकरण का निस्तारण कराना चाहते हो। अपीलाधीन मामले में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा किसी प्रकार का राजीनामा नहीं किया गया । दिनांक 15.6.2015 की आदेशिका में प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति भी दर्ज नहीं की गई। प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखे जाने के पूर्व अपीलार्थी/प्रतिवादी को नोटिस के द्वारा सूचित भी नहीं किया गया है। जबकि मूल वाद में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, दावा एवं जवाब दावे के आधार पर तनकिया कायम कर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित कर पक्षकारों के हक हितों का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न फर्द अहकाम से स्पष्ट होता है कि जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। अपीलाधीन मामले में प्रकरण तनकियात कायमी में लंबित था । प्रकरण में तनकियात कायम नहीं की गई । बिना अपीलार्थी/प्रतिवादी की सहमति के प्रकरण का राजस्व लोक अदालत कैम्प, स्वरूपगंज में निस्तारण कर दिया गया है। प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की गई है। अपीलार्थी/प्रतिवादी की अनुपस्थिति में लोक अदालत की भावना से प्रकरण का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से निस्तारण किया गया है।

14. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.6.2015 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दावा, जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम कर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन कर गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.5.19 को उपस्थित रहें।

15. निर्णय आज दिनांक 25.4.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा